न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3418–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–10–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 6/अपील/2014–15.

1. शंकर लाल पिता भंवरलाल गुर्जर
2. कालूसिंह पिता भंवरलाल गुर्जर
3. नागुलाल पिता भंवरलाल गुर्जर
4. रामचन्द्र पिता भंवरलाल गुर्जर

समस्त निवासी बरखेडा तहसील तराना
जिला उज्जैन

-----आवेदकगण

विरूद्ध

1. निर्भयसिंह पिता दर्यावसिंह बुदेंला
2. दुलेसिंह पिता दर्यावसिंह बुदेंला
3. रमेश पिता दर्यावसिंह बुदेंला
4. रामचन्द्र पिता दर्यावसिंह बुदेंला
5. कालुसिंह पिता स्व0 बनेसिंह बुदेंला

समस्त निवासी बरखेडा तहसील तराना
हाल मुकाम बंजारी तहसील व जिला इन्दौर

-----अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 19 नवम्बर 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 07–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार के प्रकरण कमांक 3/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 7–1–2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तराना के समक्ष दिनांक 21–1–15 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07–10–15 को अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कथित आदेश दिनांक 7–1–13 के विरूद्ध अपील 21–1–15 को 2 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई, इन दो सालों के विलम्ब के बारे में कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में न तो प्रकण के तथ्यों और न ही अवधि विधान की धारा 5 एवं उसके जबाव के तथ्यों के बारे में कोई विवेचना की है और न ही कोई आधार उक्त आवेदन को स्वीकार करने के बारे में दिये हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के निगरानी के साथ प्रस्तुत आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य सत्यापित दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने अपने आवेदन में विलम्ब का कारण तहसीलदार द्वारा उनकी अनुपस्थिति में आदेश पारित

करना बताया है। जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में माना है।

2000 आर.एन. 153 हरीसिंह विरूद्ध दुल्ला उच्च न्यायालय "–धारा 5––विलंब की माफी–ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो ।"
"–धारा 5–अधिनियम के उपबंध –उद्देश्य–जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो–विलंब की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है।"

1997 आरएन 310 दीपचंद गुजकर विरूद्ध संयुक्त रजिस्ट्रार में न्याय दृष्टांत 1987 (सु कोर्ट) 1353 "धारा 5 विलम्ब माफ किया जाना– विषय के गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए– मामला देरी आदि से दाखिल करने पर पक्षकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। विलम्ब की माफी के आवेदन के विनिश्चयन के समय इस सिद्धांत को विचार में लिया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर सुनकर अपील को समय–सीमा में माना है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07–10–15 यथावत रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश